अपील सूचना अधिकार संख्या 61/2018 मदन लाल पुत्र श्री प्रीतम राम वार्ड न016 हनुमान मंदिर के पास लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26—09—2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री मदन लाल उपस्थित है। विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन था कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक आवेदन पत्र दिनांक 25.05.2018 लोक सूचना अधिकारी एवंम अतिरिक्त जिला कलक्टर,श्रीगंगानगर को प्रस्तुत कर सूचनाए चाही थी जो बाद में उनके द्वारा उसका उक्त प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलक्टर, अनूपगढ़ को सूचना उपलब्ध करवाने के लिए भिजवा दिया गया। किन्तु लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलक्टर, अनूपगढ़ द्वारा जानबूझकर न तो कोई सूचना उपलब्ध करवाई गई और न ही कोई उत्तर दिया गया जबकि एक माह में सूचना उपलब्ध करवाई जानी चाहिये थी। इसलिए सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों तहत दण्डित किया जावे और वांछित सूचनाऐं अपीलार्थी को शीघ्र उपलब्ध करवाई जावे।

मैने अपीलार्थी उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर , श्रीगंगानगर से सूचनाए प्राप्त करने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिनांक 25.05.2018 प्रस्तुत किया था जो बाद में उनके द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलक्टर अनूपगढ़ को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु दिनांक 01.06.2018 को प्रेषित कर दिया गया। अपीलार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 25.05.2018 से निम्न सूचनाए चाही थी:—

> **प्रार्थी के पिता प्रीतम राम पुत्र शोभाराम जाति कुम्हार निवासी लालगढ़ जाटान तह0 सादुलशहर ने राजस्थान उपनिवेशन (राज. नहर परियोजना राजकीय भूमि आंवटन एवं विक्रय) नियम 1967 के नियम 12(1) के अन्तर्गत क्र.स. 2543 अनूपगढ़ सन् 1975 में आवेदन किया था आवेदन पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि लेने बाबत।**

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही कोई सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई है जबकि धारा 7(1) अन्तर्गत 30 दिवस के भीतर सूचना उपलब्ध करवाने अथवा न करवाने के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से प्रावधान दिये गये है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

धारा 7 अनुरोध का निपटारा :

(1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, जबकि धारा 7 (1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं और लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं अगर देय है तो नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे अन्यथा न दिये जाने पर आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर प्रार्थी को कारण सहित सूचित किया जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी अनूपगढ़ को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर

श्रीगंगानगर